

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2025

जयपुर, दिनांक : 15.01.2025

आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर प्रशासनिक कारणों से लोक हित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क. स.	अधिकारी का नाम व पद	कहां से	कहां को
1	श्री मनीष गुप्ता, खाद्य विश्लेषक	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा (श्रीमती प्रियंका सोनी के स्थान पर)
2	श्रीमती प्रियंका सोनी, खाद्य विश्लेषक	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर (श्री मनीष गुप्ता के स्थान पर)
3	श्रीमती रेणु शर्मा, खाद्य विश्लेषक	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अलवर

उक्त अधिकारियों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीणा)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती  
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- 3- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राज. जयपुर ।
- 4- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये राज. जयपुर ।
- 5- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, जोन राजस्थान
- 6- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/उप जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट अस्पताल, राजस्थान
- 7- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
- 8- संबंधित अधिकारी
- 9- कम्प्यूटर सेल/निजी /रक्षित पत्रावली
- 10- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वैबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।

संयुक्त शासन सचिव